मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 12138/46/2002/स्था. इन्दौर, दिनांक 24.01.2013

चयन परिणाम

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 01/स्थापना/2012/दिनांक 12.11.2012 तथा शुद्धि पत्र क्रमांक 01/01/स्थापना/2012 दिनांक 26.11.2012 के अन्तर्गत म0प्र0 लोक सेवा आयोग कार्यालय हेतु सहायक वर्ग–III (बैकलॉग) के कुल–06 पद (अनारक्षित–निरंक, अनुसूचित जाति–निरंक, अनुसूचित जनजाति–04 व अ.पि.वर्ग–निरंक) जिसमें से महिला आवेदकों के लिए अनारक्षित–निरंक, अ.जा.–निरंक, अ.ज.जा.–02 व अ.पि.वर्ग–निरंक पद आरक्षित) विज्ञापित् किये गये थे । उक्त पदों की पूर्ति के लिए दिनांक 22.01.2013 को लिखित परीक्षा/कम्प्यूटर लिखित/प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की गई थी । जिसका परीक्षा परिणाम दिनांक 22.01.2013 को घोषित किया गया। लिखित परीक्षा में अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार दिनांक 23 जनवरी, 2013 को आयोजित किये जाने के परिणाम स्वरूप अंतिम चयन सूची निम्नानुसार घोषित की जाती है :–

मुख्य सूची

स.क.	रोल नम्बर	नाम	लिंग	
1	132	राजाराम खन्ना	M	
2	102	लखन मण्डलोई	M	
3	116	प्रेमसिंह डामोर	M	
4	113	श्रीमती विजेता अजनारिया	F	
5	154	कु0 सुनिता बालके	F	प्रावधिक

अनुपूरक सूची (अनुसूचित जनजाति)

1	124	मंशाराम सोलंकी	M	
2	107	मंगलसिंह वसुनिया	M	
3	134	श्रीमती पेमल चौहान	F	

टीप :–

1. म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक/ एफ–6–1 /2002/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 19.09.2002 एवं पत्र क्रमांक 93/77/13/आ.प्र./एक दिनांक 23.01.2013 के परिप्रेक्ष्य में जारी अनुदेशों के अंतर्गत "यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी तथा गुना में सहारिया जनजाति, जिला मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया तथा बालाघाट में बैगा जनजाति एवं जिला छिंदवाड़ा में तामिया विकासखंड में भारिया जनजाति के है, संविदा शाला शिक्षक या किसी भी तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए आवेदन करता है, और विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा ।" जिसके अंतर्गत तामिया विकासखंड जिला छिंदवाड़ा की भारिया जनजाति के एक पुरूष आवेदक का आवेदन पत्र प्राप्त होने से एक पद (पुरूष) की पूर्ति हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है। इसलिए मात्र 5 पदों हेतु चयन परिणाम घोषित किया जा रहा है ।
2. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि आयोग के ध्यान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

(डॉ. मधु खरे)
सचिव

24/1